

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 04/21

सन् 2021

जीसीएमएस संख्या 2021/00009

बउनवानी- सुरेश, मुनेश पिसरान आलम नट निवासी ग्राम धोली तहसील चौथ का बरवाडा
बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 1126/2020
निर्णय दिनांक 30.07.2020 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री हिम्मत सिंह राजावत
2. श्री तौफिक मोहम्मद

वकील अपीलान्त
पैरोकार राजस्व

—: निर्णय :-

दिनांक 12.02.2021

अपीलान्त द्वारा नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 1126/2020 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2020 जिसके द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्त के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त 60 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।


अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2076 में वाके ग्राम धोली तहसील चौथ का बरवाडा की गै.मु. चरागाह की भूमि आराजी ख0न0 02 रकबा 0.75 पर सरसों की फसल काश्तकर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट नायब तहसीलदार चौथ का बरवाडा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्त को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जेर अपील पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्त ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में मौका निरीक्षण कर सम्यक जाँच नहीं की गयी एवं पटवार हल्का द्वारा रंजिशवश प्रस्तुत गलत व झूठी रिपोर्ट के आधार पर ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया। जबकि अपीलान्त अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात पर ही काबिज है। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध जाकर अपीलान्त के विरुद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्त अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। जहाँ तक अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के क्रियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया। उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है उसके आधार पर अपीलान्त को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसमें अपीलान्त को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही

....(1).....


जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

(अपील संख्या 04/2021)


अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्त को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.1.2021 को पुलिस वाले घर जाने पर घरवालो के बताये जाने पर प्राप्त हुई, प्राप्त जानकारी के अनुसार मुझ अपीलान्त के विरुद्ध पारित आदेश की अपील मय दफा 5 के प्रार्थना के प्रस्तुत की गयी है अतः अपील अपीलान्त मियाद शुमार मानते हुए अपील अपीलान्त स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्त ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्त की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध अपीलान्त को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया जिस पर सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्त के नोटिस की सोनू कुमार से करवायी गयी विधिवत तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नहीं किया, जिसके आधार पर अपीलान्त को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्त की तलवी हेतु जारी नोटिस की सोनू कुमार से करवायी गयी तामील से हो जाती है। क्योंकि सोनू कुमार का अपीलान्त से क्या रिश्ता है अंकित नहीं होने के कारण उक्त तामील प्रोपर तामील की श्रेणी में नहीं आती है। इसके अतिरिक्त पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयानों के आधार पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि पत्रावली पर अपीलान्त को उक्त भूमि पर से पूर्व में बेदखल किये जाने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमण से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। पूर्व पत्रावली संख्या 207/18 का आदेश जैर अपील में हवाला दिया गया है किन्तु उक्त निर्णय प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्त द्वारा दिनांक 28.12.2020 को कब्जा छोड़ने बाबत अण्डर टैकिंग प्रस्तुत किया है किन्तु मौका रिपोर्ट दिनांक 6.1.2021 में अतिक्रमण पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु तहसीलदार चौथ का बरवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर आदेश जैर अपील सजा की सीमा तक निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण, बेदखली, फसल कुर्की, पूर्व में पारित निर्णय, पटवारी बयान, वर्तमान मौका रिपोर्ट इत्यादि दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाकर प्रदर्श करते हुए पुनः गुणावगुण के आधार पर विधिवत निर्णय पारित करे। साथ ही अपीलान्त को निर्देशित किया जाता है कि वह 15 दिवस के अन्दर अपना पक्ष रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होवे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर